

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26
न्यायालय सहायक कलक्टर (फारट ट्रेक), श्रीगंगानगर

सावित्री व अन्य बनाम रुकमा व अन्य
वादपत्र संख्या 045/2019

online #

अन्तर्गत धारा 88,188,92ए, राज. काश्तकारी अधि.

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश कमांक एवं दिनांक
27.05.2019	<p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश गुम्बर द्वारा उपस्थित आकर वादपत्र प्रस्तुत. वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत. दर्ज पंजिका हो. प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो. पत्रावली दिनांक 12 जून, 2019 को पेश हो.</p> <p style="text-align: center;">३</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर</p>	
28/5/19	<p>अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त मुद्दे निवेदन किया गया कि वाद में अधिवक्ता का विवरण उचित नहीं है अतः लखन से एक 2ए की स्थान पर सहायक से एक 2ए छोटी हम हो गया मन्त्री अधिवक्तागण की तलबी हेतु शेष है पत्रावली का मन्त्रीगण किया गया 2ए छोटी की पत्रावली एक ही दिन पाता है वाद का मे 2ए छोटी के स्थान पर 2ए की साथ साथ ही ले मन्त्रीगण जमा है पत्रावली बुर्जुमाट दिनांक 12/6/19 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">५</p> <p style="text-align: center;">मुकेश बौरडे (R.O.S) सहायक कलक्टर (F.T) श्रीगंगानगर</p>	
12/6/19	<p>आज बार संचे द्वारा कार्य स्वगत किया गया है। पत्रावली बुर्जुमाट दिनांक 1/7/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">५</p>	



०३/०५/२०

अधिवक्ता वारी उपर नहीं पत्रावली प्रति.
क. ०१/०२ की नली हरे कांड़ी
उम्मे सभल से विचारणीय नहीं आ
रही है याथाक्य समय में अधिवक्ता
वारी की कद-२ कक-ककक आकत
लगाये जाते ह्य की वहीत वारी उपर नहीं
आये। कतः प्रकृत सं. ५०/२०१९ आकत
सावित्री व अकककक ककक। व अक
नहीत वारी की ककके की। अककककी
के खारिज किया जाता है प्रकाली के अक
कोई कककेगी अकककक नही है प्रकाली
कककककक व कक की जाकक मिगति की
हूयी के शासिक की हू